

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मुन्नो देवी पुत्री श्री ज्ञानू गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3599/2025, दिनांक 28-06-2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र-संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/7560, दिनांक 04-04-2025, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ-पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका मुन्नो देवी पुत्री श्री ज्ञानू गांव व डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका मुन्नो देवी पुत्री श्री ज्ञानू गांव व डाकघर राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 04-04-2025 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मुन्नो देवी पुत्री श्री ज्ञानू गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05-04-1966 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका मुन्नो देवी पुत्री श्री ज्ञानू गांव व डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजनगर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-08-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 :
40/2025 ना0 तह0 वाचक उप-तहसील पुखरी/2025/

तारीख दायर :
22-08-2025

उतम सिंह मनकोटिया पुत्र श्री कण्ठ, गांव सपड़ाह, परगना धुन्धी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

वादी।

बनाम

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र ।

आवेदक उत्तम सिंह मनकोटिया पुत्र श्री कण्ठ, गांव सपड़ाह, परगना धुन्धी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड में उत्तम सिंह मनकोटिया पुत्र श्री कण्ठ दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त मसरुंड, महाल सपड़ाह में मेरा नाम उत्तम सिंह पुत्र श्री कण्ठ दर्ज है, जोकि गलत है ।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम महाल सपड़ाह, पटवार वृत्त मसरुंड में उत्तम सिंह पुत्र श्री कण्ठ की जगह उत्तम सिंह मनकोटिया पुत्र श्री कण्ठ दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त मसरुंड को पारित कर दिए जाएंगे ।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-08-2025 को जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 :
42 / 2025 ना0 तह0 वाचक उप—तहसील पुखरी / 2025 /

तारीख दायर :
22-08-2025

ओम प्रकाश पुत्र श्री नुधू गांव समलोगा, परगना धुन्धी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

प्रतिवादी ।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र ।

आवेदक ओम प्रकाश पुत्र श्री नुधू गांव समलोगा, परगना धुन्धी, उप—तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन—पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, राशन कार्ड में ओम प्रकाश पुत्र श्री नुधू दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिकरी, महाल टिकरी में मेरा नाम ओमी पुत्र श्री नुधू दर्ज है, जोकि गलत है ।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं

एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम महाल टिकरी, पटवार वृत्त टिकरी में ओमी पुत्र श्री नुधू की जगह ओम प्रकाश पुत्र श्री नुधू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-08-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० :
41/2025 ना० तह० वाचक उप-तहसील पुखरी/2025/

तारीख दायर :
22-08-2025

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री नीधीया, गांव भंगड़ौथा, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

आवेदक मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री नीधीया, गांव भंगड़ौथा, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन-पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री नीधीया दर्ज है जो बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पुखरी, महाल पुखरी में मेरा नाम मोहिन्दर सिंह पुत्र श्री नीधीया दर्ज है, जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम महाल पुखरी, पटवार वृत्त पुखरी में मोहिन्दर सिंह पुत्र श्री नीधीया की जगह मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री नीधीया दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त पुखरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 22-08-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।